न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 57 / 2022 बउनवानी छुटटन लाल मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार वजीरपुर निवासी–1322 बी, श्रीनाथपुरम, गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/ 126 **on line Appeal No. 321804926098078**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
3.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.4..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. हल्का पटवारी द्वारा नामा0 संख्या 583 खोला गया है नामा0 खोलने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र / बयान / आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके आधार नामा0 खोला गया है।
2. खाता संख्या 515 मे पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र के नाम सम्पूर्ण खसरो में नामा0 खोला गया है जकि उसके 4 बहिने है यदि बहनो द्वारा हकत्याग किया गया है तो हकत्याग के संबंध में दिये गये दस्तावेजो एवं बयानो की प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर यह नामा0 खोला गया है सूचना जनहित मे मांगी जा रही है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधि0 एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया। कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर के जवाब नोटिस कमांक / सू.का.अ. / 2022 / 544 दिनांक 25.7.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है कि नामा0 संख्या 583 दिनांक 15.2.2007 को वर्धित लगान का कार्यालय नायब तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 94 / एलआर / 07 / दिनांक 14.2.2007 की पालना मे दर्ज किया गया जो दिनांक 28.7.2007 को तस्दीक हुआ था। ग्राम बगलाई का हाल खाता संख्या 515 कुल किता 13 कुल रकबा 4.83 है0 मे अपीलान्ट के पिता अंगद पुत्र गिलाहड्या मीना की मृत्यु के पश्चात नामा0 संख्या 830 दिनांक 5.1.2012 को अंगद की विरासत का नामा0 छुटटन लाल के नाम दर्ज किया गया है जिसको दिनांक 20.1.2012 को सरपंच ग्राम पंचायत बगलाई द्वारा स्वीकृत किया गया है। चूंकि विरासत का नामा0 पुत्र के नाम खोलने के कारण इस भूमि का बहनो द्वारा कोई हकत्याग नही हुआ है। इसलिए हकत्याग से संबंधित कोई दस्तावेज या बयान की प्रति कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित हकत्याग / बयान / आदेश की प्रमाणित प्रति कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे जरिये पत्रांक 544 दिनांक 25.7.2022 से अपीलान्ट वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर